

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी/वन विकास अभिकरण श्योपुर (म.प्र.)

दूरभाष क (07530)-220602 ई-मेल:-dfotskalan@mp.gov.in

// निविदा की तकनीकी अर्हकारी शर्त //

भाग-2

1. SKILL INDIA में शासकीय संस्था/शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। संस्था का कार्य आदेश की छायाप्रति संलग्न करे।
2. दुरस्थ वनक्षेत्रों में निवासरत लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसके प्रमाणीकरण के लिये अभिलेख संलग्न करना आवश्यक है।
3. LOI (Letter of Intent) कम से कम 03 कम्पनियों का होना जरूरी है।
4. प्रशिक्षण में SKILL INDIA Development Programme से संबंधित समय-समय पर जारी दिशा/निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. संस्था का SKILL INDIA TP REGISTRATION, TAN NUMBER, UDYAM, DARPAN UNIQUE ID REGISTRATION होना अनिवार्य है।
6. NGO की वेबसाइट होना अनिवार्य है।
7. ITR (वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-2025) रिटर्न का प्रमाण पत्र।
8. पिछले 03 वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-2025 में 1 करोड़ का टर्न ओवर होना आवश्यक जो सी. ए. द्वारा प्रमाणित का प्रमाण पत्र संलग्न करे।
9. MSME प्रमाण पत्र।
10. चाहे गये सर्टिफिकेट टेंडर जारी होने के पूर्व के हो।
11. गैर-आवासीय प्रशिक्षण होने के कारण निविदाकार को समस्त प्रशिक्षणार्थियों के नाश्ता, चाय, पानी, एवं दोपहर के भोजन की व्यवस्था करना होगा जिसमें होने वाले व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
12. निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेड/दिवालिया नही होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रुपये 100 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर अपलोड करें। निविदा में दिये प्रारूप अनुसार लगाना है।
13. निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि रुपये 500/- है तथा सुरक्षा सत्यंकर की राशि रुपये 100000/- है इन्हे ऑनलाईन जमा किया जाना है। जमा की दोनो रसीदे निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
14. निविदा में चाहे गये अभिलेखों पर फर्म की सील सहित हस्ताक्षरित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।
15. सफल निविदाकर्ता को वनमंडलाधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी वन विकास अधिकरण श्योपुर (म0प्र0) के साथ एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर सत्यंकर की राशि को जप्त किया जा सकेगा।
16. पात्र पाई गई गयी संस्था से प्रथमतः वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुबंध किया जाएगा।
17. निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या का प्रश्न उपस्थित होने पर वनमंडलाधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी वन विकास अधिकरण श्योपुर (म0प्र0) का निर्णय अंतिम होगा।
18. सफल निविदाकार द्वारा इन शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर या शासन को क्षति होने पर प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी तथा प्रदायकर्ता का नाम कालीसूची में दर्ज करने एवं निविदा करारनामा समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
19. निविदा का पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वनमंडलाधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी वन विकास अधिकरण श्योपुर (म0प्र0) के पास सुरक्षित होगा।
20. भुगतान राशि से देय करो की कटौती की जावेगी।
21. निविदाकर्ता को निविदा में उल्लेखित समस्त प्रशिक्षण प्रदाय करना अनिवार्य होगा। तदनुसार समस्त प्रशिक्षण की दर प्रशिक्षण किट सहित (प्रति प्रशिक्षणार्थी हेतु) अंकित करना होगा। निविदाकर्ता द्वारा समस्त प्रशिक्षण गतिविधियों की समस्त दरे अंकित नही करने की स्थिति में उन्हें वित्तीय मूल्यांकन के लिये मान्य नही किया जावेगा।

वनमंडलाधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
वन विकास अभिकरण श्योपुर (म0प्र0)

**निम्नानुसार दस्तावेजों को फर्म की सील एवं
हस्ताक्षर सहित स्कैन कापी अपलोड की जाना है**

1. SKILL INDIA में शासकीय संस्था/शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। संस्था का कार्य आदेश की छायाप्रति संलग्न करे।
2. दूरस्थ वनक्षेत्रों में निवासरत लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसके प्रमाणीकरण के लिये अभिलेख संलग्न करना आवश्यक है।
3. LOI (Letter of Intent) कम से कम 03 कम्पनियों का होना जरूरी है।
4. प्रशिक्षण में SKILL INDIA Development Programme से संबंधित समय-समय पर जारी दिशा/निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. संस्था का SKILL INDIA TP REGISTRATION, TAN NUMBER, UDYAM, DARPAN UNIQUE ID REGISTRATION होना अनिवार्य है।
6. NGO की वेबसाइट होना अनिवार्य है।
7. ITR (वर्ष 2022-23, 2023-2024, 2024-2025) रिटर्न का प्रमाण पत्र।
8. पिछले 03 वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-2024, 2024-2025 में 1 करोड़ का टर्न ओवर होना आवश्यक जो सी.ए. द्वारा प्रमाणित का प्रमाण पत्र संलग्न करे।
9. MSME प्रमाण पत्र।
10. चाहे गये सर्टिफिकेट टेंडर जारी होने के पूर्व के हो।
11. आवासीय प्रशिक्षण होने के कारण निविदाकार को समस्त प्रशिक्षणार्थियों के नाश्ता, चाय, पानी, एवं दो समय के भोजन की व्यवस्था करना होगा जिसमें होने वाले व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
12. निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेड/दिवालिया नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रुपये 100 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर अपलोड करें। निविदा में दिये प्रारूप अनुसार लगाना है।
13. निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि रुपये 500/- है तथा सुरक्षा सत्यंकर की राशि रुपये 100000/- है इन्हे ऑनलाईन जमा किया जाना है। जमा की दोनो रसीदे निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
14. निविदा में चाहे गये अभिलेखों पर फर्म की सील सहित हस्ताक्षरित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।
15. सफल निविदाकर्ता को वनमंडलाधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी वन विकास अभिकरण श्योपुर (म0प्र0) के साथ एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर सत्यंकर की राशि को जप्त किया जा सकेगा।
16. पात्र पाई गई गयी संस्था से प्रथमतः वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुबंध किया जाएगा।
17. निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या का प्रश्न उपस्थित होने पर वनमंडलाधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी वन विकास अभिकरण श्योपुर (म0प्र0) का निर्णय अंतिम होगा।
18. सफल निविदाकार द्वारा इन शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर या शासन को क्षति होने पर प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी तथा प्रदायकर्ता का नाम कालीसूची में दर्ज करने एवं निविदा करारनामा समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
19. निविदा का पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वनमंडलाधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी वन विकास अभिकरण श्योपुर (म0प्र0) के पास सुरक्षित होगा।
20. भुगतान राशि से देय करो की कटौती की जावेगी।
21. निविदाकर्ता को निविदा में उल्लेखित समस्त प्रशिक्षण प्रदाय करना अनिवार्य होगा। तदनुसार समस्त प्रशिक्षण की दर प्रशिक्षण किट सहित (प्रति प्रशिक्षणार्थी हेतु) अंकित करना होगा। निविदाकर्ता द्वारा समस्त प्रशिक्षण गतिविधियों की समस्त दरे अंकित नहीं करने की स्थिति में उन्हें वित्तीय मूल्यांकन के लिये मान्य नहीं किया जावेगा।

वनमंडलाधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
वन विकास अभिकरण श्योपुर (म0प्र0)

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी/वन विकास अभिकरण श्योपुर (म.प्र.)

दूरभाष क (07530)-220602 ई-मेल:-dfotskalan@mp.gov.in

वर्ष 2025-26 के लिए निविदा की अन्य शर्तें

भाग-3

1. सफल निविदाकर्ता को वन विभाग, वनमण्डल श्योपुर सामान्य के साथ एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर सत्यंकार की राशि को जप्त किया जा सकेगा।
2. पात्र पाई गयी संस्था से प्रथमतः वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुबंध किया जाएगा।
3. वनमंडलाधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी वन विकास अधिकरण श्योपुर (म0प्र0) द्वारा फर्म की कार्य क्षमता को देखते हुए, आवश्यकता होने पर अनुबंध की अवधि को आपसी सहमति से अधिकतम 01 वर्ष तक (एक बार में एक वर्ष) के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।
4. दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष निविदा समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 03 माह की पूर्व सूचना देना आवश्यक है।
5. आनलाईन निविदा डालने हेतु सत्यंकर की राशि रु 100000/ (एक लाख रु) जमा करनी होगी।
6. सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता का आदेश वनमंडलाधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी वन विकास अधिकरण श्योपुर (म0प्र0) द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जप्त की जावेगी। इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। ऐसे परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार, वनमंडलाधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी वन विकास अधिकरण श्योपुर (म0प्र0) के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।
7. प्रदाय हेतु ई-निविदा में दर्शित मात्रा पूर्णतः अनुमानित है, जिसमें परिवर्तन हो सकता है। मात्रा में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विवाद मान्य नहीं होगा।
8. भुगतान राशि से नियमानुसार समस्त देय करो की कटौती की जावेगी।
9. निविदाकार की फर्म पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीयन निविदा प्रकाशन के पूर्व का होना अनिवार्य है।
10. निविदाकार को कार्यशील E-mail ID एवं Whatsapp नम्बर दिया जाना आवश्यक होगा।
11. सफल निविदा द्वारा इन शर्तों में से किसी का उल्लंघन करने पर या शासन को क्षति होने पर प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी तथा प्रदायकर्ता का नाम काली सूची में दर्ज करने पर निविदा करारनामा समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
12. निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वनमंडलाधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी वन विकास अधिकरण श्योपुर (म0प्र0) के पास सुरक्षित रहेगा।
13. निविदा दर स्वीकृत होने पर राशि रूपयें 500/- का स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना होगा।
14. स्वीकृत/ अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
15. अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदाए बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। जिसके लिए वह किसी के समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा तथा निविदा दर बाजार दर से अधिक होने या बजट में प्रभाव होने पर पुनः विचार किया जावेगा।
16. निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर वनमंडलाधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी वन विकास अधिकरण श्योपुर (म0प्र0) का निर्णय अंतिम होगा।
17. निविदा विषयक विवाद में अंतिम निर्णय वनमंडलाधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी वन विकास अधिकरण श्योपुर (म0प्र0) का होगा।
18. किसी भी तरह के विवाद के लिए न्यायालय क्षेत्र श्योपुर न्यायालय के अंतर्गत रहेगा।

वनमंडलाधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
वन विकास अभिकरण श्योपुर (म0प्र0)

निविदा वर्ष 2025-26
शपथ -पत्र
रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित

- मै..... द्वारा प्रोप्राईटर मेसर्स
- निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता हूँ कि:-
01. यह कि फर्म को किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है ।
 02. यह कि फर्म को कोई कानूनी विवाद में न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया है ।
 03. यह कि फर्म को किसी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक से दिवालिया घोषित नहीं किया गया है ।
 04. यह कि निविदा में प्रस्तुत अथवा शपथ पत्र में पाई गई जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने तथा सुरक्षा निधि जप्त करने का अधिकार वनमंडलाधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी वन विकास अभिकरण श्योपुर, मध्यप्रदेश को होगा ।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मै उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादन उक्त शपथ पत्र के बिन्दु क्रमांक-01 से 04 तक में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य है ।

शपथग्रहिता

प्रपत्र-01
(निविदा प्रपत्र)

प्रति,

वनमंडलाधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
वन विकास अभिकरण जिला श्योपुर मध्य प्रदेश

विषय :- ग्रीन इंडिया मिशन अंतर्गत हितग्राहियों के बालक/बालिकाओं को कौशल उन्नयन एवं क्षमता विकास के प्रशिक्षण निविदा वर्ष 2025-26

—00—

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है, कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	
1	फर्म का नाम	
2	पत्र व्यवहार का पता	
3	पत्र व्यवहार के लिये ई-मेल आई.डी.	
4	फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
5	पदनाम	
6	मोबाईल नम्बर	
7	पत्र व्यवहार हेतु व्हाट्सएफ नम्बर	

प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के प्रपत्र-01, 02, 03, में दर्शित शर्तों के अनुसार उपयोगी ई-निविदा में दर्शित प्रशिक्षण हेतु निविदा वर्ष 2025-26 का कार्य पूर्णतः करने की अपनी सहमति प्रदान करते हैं ।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील